भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2855

मंगलवार, 18 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएलआई की स्थिति

2855. श्री जी. सेल्वमः

श्री सी. एन. अन्नादुरईः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) तमिलनाडु सहित क्षेत्रवार उक्त योजना के अंतर्गत लाभ उठाने वाली कंपनियों की संख्या क्या है;

(ग) क्या पीएलआई योजना ने प्रमुख क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा दिया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त वृद्धि को दीर्घावधि में बनाए रखने के लिए किए जा रहे उपाय क्या हैं;

(च) क्या सरकार पीएलआई योजना का दूसरा चरण शुरू करने की योजना बना रही है;

(छ) यदि हां, तो उक्त योजना में शामिल किए जाने वाले प्रस्तावित क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ज) अनुमानित लाभ संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ङ): भारत के 'आत्मनिर्भर' बनने के विजन को ध्यान में रखते हुए, भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने हेतु 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमों की घोषणा की गई है।

ये 14 क्षेत्र हैं: (i) मोबाइल विनिर्माण और विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक, (ii) महत्वपूर्ण प्रारंभिक सामग्री/ मध्यवर्ती औषधि और एक्टिव फार्मास्यूटिकल सामग्रियां, (iii) चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण (iv) ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक, (v) फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स, (vi) विशेष इस्पात, (vii) दूरसंचार और

नेटवर्किंग उत्पाद, (viii) इलेक्ट्रॉनिक/प्रौद्योगिकी उत्पाद, (ix) व्हाइट गुड्स (एसी और एलईडी), (x) खाद्य उत्पाद, (xi) वस्त्र उत्पाद: एमएमएफ श्रेणी और तकनीकी वस्त्र, (xii) उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल्स, (xiii) एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी तथा (xiv) ड्रोन और ड्रोन घटक।

पीएलआई स्कीमों का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी में निवेश को आकर्षित करना; दक्षता सुनिश्चित करना और विनिर्माण क्षेत्र में बड़े पैमाने की किफायत करना एवं भारतीय कंपनियों और विनिर्माताओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। ये स्कीमें अगले लगभग पांच वर्षों में उत्पादन, रोजगार और आर्थिक विकास को अत्यधिक बढ़ावा देने की क्षमता रखती हैं।

संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा विधिवत अनुमोदन के बाद सभी 14 क्षेत्रों की पीएलआई स्कीमों को अधिसूचित कर दिया गया है। ये स्कीमें कार्यान्वयनकारी मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। अब तक, पीएलआई स्कीमों के तहत 14 क्षेत्रों में 764 आवेदनों को अनुमोदन प्रदान किया गया है। अनुमोदित आवेदनों का क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है। पीएलआई स्कीमों के तहत आवेदन, पंजीकृत कंपनियों के नाम पर स्वीकृत किए जाते हैं, जिनकी पूरे भारत में कई विनिर्माण इकाइयां हो सकती हैं और इसलिए, स्कीम के तहत राज्य विशेष में लाभार्थियों की संख्या संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं है। विनिर्माण इकाइयों की राज्य-वार संख्या **अनुबंध-II** में दी गई है।

नवंबर 2024 तक, 14 क्षेत्रों में 1.52 लाख करोड़ रुपए का वास्तविक निवेश प्राप्त हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप 13.37 लाख करोड़ रुपए से अधिक के वृद्धिमान उत्पादन/बिक्री और 11 लाख से अधिक रोजगार सृजन हुआ है। पीएलआई स्कीमों में इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों के महत्वपूर्ण योगदान से 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात दर्ज किया गया है।

(च) से (ज): पीएलआई स्कीमों के तहत चिह्नित किए गए सभी अनुमोदित क्षेत्र, ऐसी प्रमुख प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करने के व्यापक मानदंडों का पालन करते हैं, जिनमें भारत तेजी से आगे बढ़ सकता है और रोजगार, निर्यात तथा अर्थव्यवस्था के लिए समग्र आर्थिक लाभों को कई गुना बढ़ा सकता है। नीति आयोग द्वारा पुनरीक्षण और संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद इन क्षेत्रों को अनुमोदन प्रदान किया गया। अभी तक, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएलआई स्कीमों के तहत किसी भी नए क्षेत्र को शामिल करने के किसी भी प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान नहीं किया है।

*****

अनुबंध I

दिनांक 18.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2855 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्रम सं.	क्षेत्र	अनुमोदित आवेदन
1	मोबाइल विनिर्माण और विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक	32
2	इलेक्ट्रॉनिक/प्रौद्योगिकी उत्पाद	27
3	महत्वपूर्ण प्रारंभिक सामग्री/ मध्यवर्ती औषधि और एक्टिव फार्मास्यूटिकल सामग्री	51
4	चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण	32
5	फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स	55
6	एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी	4
7	ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक	95
8	दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद	42
9	वस्त्र उत्पाद: एमएमएफ श्रेणी और तकनीकी वस्त्र	74
10	खाद्य उत्पाद	182
11	उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल	14
12	व्हाइट गुड्स (एसी और एलईडी)	66
13	विशेष इस्पात	67
14	ड्रोन और ड्रोन घटक	23
	कुल	**764**

अनुबंध II

दिनांक 18.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2855 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विनिर्माण इकाइयों की संख्या
1	महाराष्ट्र	212
2	गुजरात	174
3	तेलंगाना	141
4	कर्नाटक	113
5	तमिलनाडु	109
6	आंध्र प्रदेश	98
7	उत्तर प्रदेश	80
8	हरियाणा	69
9	मध्य प्रदेश	43
10	राजस्थान	40
11	उत्तराखंड	39
12	हिमाचल प्रदेश	31
13	पंजाब	25
14	केरल	20
15	ओडिशा	20
16	सिक्किम	15
17	दमन और दीव	13
18	गोवा	12
19	पश्चिम बंगाल	10
20	बिहार	8
21	जम्मू	6
22	झारखंड	6
23	असम	5
24	दादरा और नगर हवेली	5
25	पुदुच्चेरी	5
26	छत्तीसगढ़	3
27	दिल्ली	3
कुल		**1305**

*****